फार्मेट सी-3

रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय

निर्वाचन क्षेत्र का नाम :...

राज्य का नाम :...

निर्वाचन का नाम :...

यह सूचित किया जाता है कि रिट याचिका (सिविल) 2011 की सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय एवं आयोग के दिनांक 10.10.2018 के पत्र सं. 3/ईआर/2018/एसडीआर में दिए गए निदेशों के अनुसार, आपराधिक मामले - चाहे लंबित मामले या पूर्व में दोषसिद्धि के मामले वाले सभी अभ्यर्थियों से, अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख के बाद और मतदान की तारीख से दो दिन पहले के दौरान, तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में ऐसे आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाती है। टीवी चैनलों में प्रकाशन की घोषणा मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे की अवधि से पहले पूरी हो जानी चाहिए।

चूंकि आप, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए नामित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री.....................................(अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख करें) ने प्ररूप-26 की मद सं. 5/6में आपराधिक मामले के बारे में सूचना की घोषणा की है, अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से वितरित होने वाले समाचार पत्रों में एवं टीवी चैनलों में इस जानकारी को प्रत्येक में कम से कम तीन अवसरों पर प्रकाशित करें। जानकारी प्रकाशित करने के लिए फार्मेट इसके साथ संलग्न है। यह भी सूचित किया जाता है कि आपराधिक मामले के बारे में सूचना प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों की प्रतियां, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन व्यय लेखा के साथ ज़िला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

तारीख :

हस्ताक्षर.................................

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी का नाम.........................

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ....

टिप्पणी : इसकी एक प्रति अभ्यर्थी को दी जानी चाहिए और एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के पास रखी जानी चाहिए।